



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941

No. 325]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

**सं. एल/61/10-नालसा.**—दिनांक 6/9/2019 की अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा दिनांक 28 अगस्त, 2019 के अनुशेष के रूप में केन्द्रीय प्राधिकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) संशोधन विनियम 2019 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन जोड़ता है :-

“राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 4 में उप-विनियम (3) का लोप किया जायेगा।”

आलोक अग्रवाल, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./215/19]

**टिप्पण :** मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड 4 में अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा, दिनांक 9 सितम्बर, 2010 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या एल/61/10/नालसा, दिनांक 22.10.2018 (भारत के राजपत्र में 25.10.18 को प्रकाशित किया गया) तथा 28.08.2019 (भारत के राजपत्र में 06.09.2019 को प्रकाशित किया गया) के द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Department of Justice)****(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)****ADDENDUM**

New Delhi, the 18th September, 2019

**No. L/61/10/NALSA.**—As an addendum to Notification No. F. No. L/61/10/NALSA dated 28th August, 2019 published in the Gazette of India on 6/9/2019, the Central Authority adds the following additional amendment in the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Amendment Regulations, 2019:—

“In the National Legal Services Authority (Free and Competent Legal Services) Regulations, 2010, in regulation 4, sub-regulation (3) shall be omitted.”

ALOK AGARWAL, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./215/19]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated the 9th September, 2010 and were last amended *vide* notification No. L/61/10/NALSA dated 22/10/2018 (published in the Gazette of India on 25.10.2018) and 28/08/2019 (published in the Gazette of India on 06/09/2019).